>

Title: Need to provide immediate employment to all the persons seeking employment on compassionate ground.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय के अंतर्गत सेवा में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार को अधिकार के रूप में उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। देश के सभी श्रमिक संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर की जा रही नियुक्तियों पर प्रतिबंध का पुरजोर विरोध किया है, इसके बावजूद सरकार ने इसके बारे में कोई पुनर्विचार नहीं किया। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अधिकार की परिभाषा बदलने के कारण कई परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो कर्मचारी श्रेणी 3 और 4 के पूर्वर्ग में कार्यरत रहे हैं एवं उन्हें कार्यस्थल या अन्य किसी स्थान पर आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता का शिकार होना पड़ा उसका परिवार उस अवस्था में आजीविका के लिए सड़क पर आ जाता है। उनके पास जीवनयापन करने हेतु कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होने से बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे समय अगर अनुकम्पा के आधार पर उस कर्मचारी की विधवा या वारिस को नौकरी मिल जाती तो इस परिवार को आजीविका के दूसरे संसाधन जुटाने हेतु भटकना नहीं पड़ता। कुछ राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा उसके सभी सार्वजनिक उपक्रमों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों में से केवल 5 प्रतिशत स्थान रिक्त रखे गए हैं और अनुकम्पा आधार पर आवेदकों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने के बाद केवल दो वर्ष की अवधि के अन्दर वरीयता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन सख्त नियमों के कारण देश के सभी क्षेत्रों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए किये गये आवेदन निरस्त हो रहे हैं। यह कर्मचारियों के प्राकृतिक न्यायतंत्र अधिकार को नकारने का मामला बन रहा है। अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों में आवेदकों को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है उसे देखते हुए सरकार द्वारा इसके बारे में लागू की जा रही नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में पंजीकृत करोड़ों लोगों की बढ़ती संख्या और बरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या में अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों हेतु इन आवेदकों कि संख्या शामिल हो रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों को कानून के रूप में अनिवार्य किया जाए।